न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 25/2019 (2019/00142) दर्ज दिनांक 24.08.2019

प्रा.पत्र. अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

सोहनलाल आत्मज चुन्नीलाल ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——प्रार्थी

बनाम

1. मोहनी पुत्री गोकल पत्नि रामेश्वर ब्राह्मण निवासी बामनिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद।
2. कमला पुत्री गोकल पत्नि जगदीशचन्द्र ब्राह्मण निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
3. केली बेवा गोकल ब्राह्मण
4. देवीलाल आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण
5. कैलाश चन्द्र आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण
6. सोहनी पुत्री रामचन्द्र पत्नि रतन ब्राह्मण
   सर्व निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. बरदी पुत्री रामचन्द्र पत्नि सतु ब्राह्मण निवासी दुडिया तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
8. चांदी बेवा रामचन्द्र ब्राह्मण
9. गीता पुत्री माधुलाल ब्राह्मण
10. रामेश्वर आत्मज नारायण ब्राह्मण
11. गोपाल आत्मज नारायण ब्राह्मण
12. प्रेम पुत्री नारायण ब्राह्मण
13. घीसी बेवा नारायण ब्राह्मण
14. कालुराम आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण
15. शंकर आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण
16. रामसुख आत्मज रामचन्द्र ब्राह्मण
17. रामचन्द्री बेवा रामचन्द्र ब्राह्मण
18. जगदीशचन्द्र आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण
19. कैलाशचन्द्र आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण
20. श्यामलाल आत्मज मोहनलाल ब्राह्मण

    सर्व निवासी मेघरास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:48 IST
Reason: SelfAttested

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः श्री हरीश चन्द्र टेलर

अधिवक्ता विपक्षी (सं0 9): श्री अरविंद चौधरी

उप खण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–09.10.2020

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास तहसील सहाड़ा में प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 716 तथा मुझ प्रार्थी व अन्य विपक्षीगण की आराजी चाह संख्या 715 जो विपक्षी जगदीशचन्द्र, कैलाशचन्द्र, श्यामलाल, रामेश्वरलाल, गोपाल, प्रेम, घीसी बाई के नाम पर दर्ज रेकार्ड स्थित है।

यह है कि इन आराजियात में आने जाने का रास्ता सरकारी रास्ता संख्या 686 जो गांव मेघरास से शमशान भूमि तक जाने का है से होकर विपक्षी संख्या एक लगायत नौ की आराजी संख्या 689 रकबा 0.02 हे0 जो इन्हीं की आराजी संख्या 290 के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है मे से आता जाता रहा है। आराजी संख्या 689 से आगे आराजी संख्या 703 जो कि विपक्षी संख्या 14 लगायत 17 की है की उत्तरी पाली पर होकर आगे आराजी संख्या 704 जो विपक्षी संख्या 18 लगायत 20 की है की उत्तरी पाली पर होकर अपनी आराजी संख्या 716 व आराजी चाह संख्या 715 तक पहुँचता है।

यह कि आराजी संख्या 703, 704 के खातेदार एवं आहता चाह संख्या 715 के खातेदार भी इसी रास्ते से होकर आवागमन करते है और वे भी इस रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से सहमत है परन्तु उनके उपलब्ध नहीं होने से उन्हें तरदीदी पक्षकार बनाया गया है।

यह कि प्रार्थी के संज , बैल, बैलगाड़ी, पैदल सहित आवागमन करने का एक मात्र रास्ता विपक्षीगण संख्या एक लगायत 9 की आराजी संख्या 689 से होकर 100 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है इसी रास्ते से होकर प्रार्थी व आराजी संख्या 704, 703 के खातेदार व आहता चाह संख्या 715 के सह खातेदार आते जाते रहे है और इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

यह कि विपक्षी संख्या एक लगायत नो ने जंहा से रास्ता संख्या 686 से आराजी संख्या 689 में प्रवेश करते है वंहा पर पत्थर डाल कर रास्ता अवरूद्ध कर दिया है जिससे मै प्रार्थी अपनी आराजी के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा हूँ और आराजी संख्या 686 से लगा आराजी संख्या 703 में प्रवेश की जगह तक के रास्ते को [illegible] जाना अनिवार्य हो गया है।

यह कि प्रार्थी यदि न्यायालय उचित समझे तो जमीन [illegible] बदले जमीन भी देने को तैयार है क्योंकि उसने पूर्व में ही उसके पिता के समय विपक्षी संख्या एक लगाायत नो को दो बिस्वा जमीन दे रखी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:48 IST
Reason: SelfAttested

2.

उप खण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

यह कि विपक्षीगण संख्या एक लगायत नो द्वारा रास्ते को अवरूद्ध करने के कारण एवं विपक्षी संख्या 10 लगायत 13 आहता चाह संख्या 715 में सह खातेदार हाने से एवं अन्य विपक्षीगण प्रार्थना पत्र पेश करने से सहमत होते हुए भी उपलब्ध नहीं होने से पक्षकार बनाये गये है।

प्रार्थी ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थी का प्रार्थना – पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणस तहसील सहाड़ा मे खातेदारी की आराजी संख्या 716 व आहता चाह संख्या 715 पर आने जाने का रास्ता आराजी संख्या 686 से 703 तक के रास्ते में उत्पन्न किये गये अवरूद्ध को हटावे व आराजी संख्या 689 से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता गाड़ी, बैल, संज सहित आने जाने का राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराया जावे यानि कि सम्पूर्ण आराजी संख्या 689 रकबा 0.02 हे0 को किस्म को रास्ता कायम करने हेतु प्रतिकर निर्धारण कर उसे रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर के नाम प्रदान कराया जावे ।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 28.09.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 9 के अधिवक्ता उपस्थित विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की प्रार्थीगण की प्रार्थना संख्या 1 लगायत 12 को अस्वीकार व प्रार्थी स्वयं सिद्ध कराने हेतु निवेदन किया एवं कलम संख्या 13 को कानुनी बताया निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य एवं मनगढंत तथ्यों पर होने से सव्यय खारिज फरमाया जावे। विपक्षी संख्या 1 लगायत 8, 10 व 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है।

प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक /राजस्व/ 20/566 दिनांक 11.09.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

<u>अंतिम मौका पर्चा कमांक /राजस्व/ 18/261 दिनांक 22.05.2018 के अनुसार :–</u>

–यह कि ग्राम मेघरास के आराजी नं0 715 रकबा 0.03 हे0 गे0मु0 चाह प्रार्थीया के नाम शामलाती तथा आराजी संख्या 716 रकबा 0.15 हे0 सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी नं0 689 रकबा 0.02 हे0 व आराजी नं0 703 व 704 के उत्तरी मेड पर रास्तानुमा डोटेड दर्शा रखा है।

– यह कि मौके पर उक्त विवादित रास्ता बंद है।

– यह कि मौके पर प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते के अलावा अप्रार्थी सं0 4 देवीलाल ने बताया कि आवेदित रास्ते के अलावा अन्य रास्ता [illegible] होकर जाना बताया गया जिसे राजस्व नक्शे में दर्शाया गया है।

– यह कि वर्तमान में उक्त आराजीयात पर पहुँच मार्ग नहीं [illegible] से आवागमन नहीं किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

– यह कि उक्त आराजीयात में आराजी नं0 689 रकबा 0.02 हे0 सम्पूर्ण भूमि, आराजी नं0 703 रकबा 0.15 हे0 में से 0.01 हे0 भूमि तथा आराजी नं0 704 रकबा 0.16 हे0 में से 0.01 हे0 कुल 0.04 हे0 भूमि भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। ग्राम मेघरास की सिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 2,77,191/– प्रति हे0 तथा असिंचित पास की डी0एल0सी0 दर 1,91,691/– रूपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित है जिसके अनुसार उक्त रास्ते में प्रभावित भूमि 0.04 हे0 भूमि की मालियत 9378/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 18756/– होती है।

–यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते व प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बताये गये रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया जाकर मय नकल जमाबंदी पत्र के साथ संलग्न है।

– यह कि मौके पर इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

–यह कि प्रार्थी ने बताया कि आराजी नं0 703 व 704 के खातेदार रास्ता देने हेतु सहमत है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थी व विपक्षीगण के अधिवक्ता को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थी ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। तथा प्रार्थना – पत्र को चाही गई रिलिफ अनुसार स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। विपक्षीगण के अधिवक्ता ने विपक्षी द्वारा बतायी गई आराजियात में से ही रास्ता देने हेतु निवेदन किया एवं प्रार्थी द्वारा चाही गई आराजियात में से रास्ता देने हेतु विपक्षी सहमत है।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थी व विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। ग्राम मेघरास पटवार हल्का सहाड़ा की आराजी संख्या 715, 716में आवागमन करने के लिऐ एक मात्र न्यूनतम दूरी का रास्ता जो ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास में विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 की आराजी संख्या 689 रकबा 0.02 हे0 सम्पूर्ण भूमि, विपक्षी संख्या 14 लगायत 17 की आराजी संख्या 703 रकबा 0.15 हे0 में से 0.01 हे0 भूम एवं आराजी संख्या 704 रकबा 0.16 हे0 में से 0.01 हे0 कुल किता 03 रकबा 0.04 हे0 भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होती है। जो प्रार्थी की आराजी के उत्तर मेड़ से लगकर 15 फीट का रास्ता विपक्षी की खातेदारी आराजी संख्या 689, 703, 704 से नजदीक एवं बिलानाम रास्ते से जुड़ा है। मौका पर्चा रिर्पोट में प्रस्तावित रास्ते की भुमि को नजरी नक्शे मे लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है।

प्रार्थी को अपनी कुषि भुमि आराजी नं0 715, 716 में आने जाने के लिए प्रस्तावित भुमि के लिऐ विपक्षी की आराजी संख्या 689, 703, 704 के उत्तरी मेड़ से लगकर 15 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु यानि 0.04 हे0 भुमि का नवीन रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त [illegible] का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किया जाने योग्य [illegible] है। अतएवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:48 IST
Reason: SelfAttested

4.

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :— 25/2019 (2019/00142)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी ए का स्वीकार किया जाता है। ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 715, 716 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 689, 703, 704 के उत्तरी मेड़ से लगकर 15 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.04 हे0 भुमि प्रार्थी की आराजी में प्रवेश हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 1,91,691/— है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत 9378/—होती है। इसकी दुगुनी राशि 18756/—प्रार्थी विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 एवं 14 लगायत 20 को भुगतान करने के पश्चात उक्त 0.04 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से उक्तानुसार राशि 18756/— प्रार्थी से वसुल कर विपक्षी संख्या 1 लगायत 9 एवं 14 लगायत 20 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम मेघरास पटवार हल्का भूणास की आराजी संख्या 715, 716 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी संख्या 689, 703, 704 के उत्तरी मेड़ से लगकर 15 फीट चौड़ाई का रास्ता यानी 0.04 हे0 भुमि को गै0मु0 सार्वजनिक रास्ता दर्ज करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.13 11:36:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner